विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली–110 108

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110 108

Ph.EPABX - 23063800, 23063802, 23063803 FAX - (91-11) 23062315, 23061726, 23061068, e-mail - dcmsmehq@nic.in

फाइल संख्या 1 (19)/2016-17- पुस्तकालय

दिनांक : 28.7.2016

सेवा में,

1. वेतन एवं लेखा कार्यालय (एमएसएमई) नई दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई/मुंबई
2. निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/प्रभारी
3. सभी सू.ल.म.उ.विकास संस्थान(30 संस्थान), सभी शाखा एमएसएमई वि.सं.(28), सू.ल.म.उ-परीक्षण केंद्र (4)

विषय:- बजट आवंटन का 50 प्रतिशत तकनीकी प्रकृति की पुस्तकों को तरजीह देते हुए हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च करना।

महोदय,

विदित है की प्रत्येक वर्ष विकास आयुक्त (सू ल म उ) कार्यालय मुख्यालय द्वारा सभी सू ल म उ विकास संस्थानों(30 संस्थानों), सभी शाखा सूलमउ-विकास संस्थानों, परीक्षण केंद्रों को उनके द्वारा निधियों के उपयोग/मांग के आधार पर निम्नलिखित निबंधन व शर्तों के अधीन बजट आवंटन किया जाता है:-

i) इस निधि से किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत कंप्यूटर/लैपटाप या अन्य कोई हार्डवेयर नहीं खरीदें जाएँगे।
ii) प्रत्येक संस्थान/ शाखा संस्थान के फर्नीचर पर व्यय, आवंटन के 20 प्रतिशत से अधिक राशि नहीं किया जाएगा।
iii) शेष आवंटन के 50% से अनधिक राशि (अर्थात आवंटन -ii)हिन्दी पुस्तकों पर खर्च की जाएगी।
iv) तकनीकी पुस्तकों पर शेष आवंटन का 80 प्रतिशत अर्थात (ii+iii) व्यय किया जाएगा।
v) शेष राशि पत्रिकाओं, मैगज़ीन तथा समाचार-पत्र एवं जर्नलों पर व्यय किया जाएगा।

2. इस संदर्भ में यह पहले भी बताया जा चुका है की 29.04.2016 को अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठक में 50 प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों की खरीद जिसका उल्लेख उपरिलिखित बिन्दु (iii) में किया गया है, की शर्त का सख़्ती से अनुपालन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी सूलमउ-विकास संस्थान (30 संस्थान), शाखा विकास संस्थान (28)/परीक्षण केंद्र (4) कार्यालय प्रयोग के लिए प्रशासनिक शब्दावली (पारिभाषिक शब्दावली) की क्रमशः 10, 5 तथा 5 प्रतियां की खरीद करें। अतएव आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन करें तथा इस संबंध में की गई कारवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को दें।

भवदीय,

एस.वी.शर्मा

(एस.वी.शर्मा)
निदेशक (पुस्तकालय)

प्रति प्रेषित :

1) सहायक निदेशक (हिन्दी) को उनके दिनांक 24.6.2016 के कार्यालय आदेश सं. 23(1)/2015-हिन्दी के संबंध में।
2) पुस्तकालय (मुख्यालय) को कार्यालय परिभाषिका (परिभाषिक शब्दावली) की 50 प्रतियां खरीदने के लिए कार्रवाई करने के संबंध में ।